GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
ORDNANCE FACTORY BOARD
AYUDH BHAVAN
10-A, SHAHEED KHUDIRAM BOSE ROAD
KOLKATA-700 001

OFB

TEL : (033) 22485077-80 | FAX:(033) 22487822

288/RR/SRO/Civilian Motor Driver/Per/NI

Date 06/02/2019

To
The Sr. General Manager / General Manager
All Ordnance & Ordnance Equipment Factories

Sub : Framing of SRO in respect of Civilian Motor Driver (Special Grade) Group 'B' Non-Gazetted, Civilian Motor Driver (Grade-I), Civilian Motor Driver (Grade-II) and Civilian Motor Driver (Ordinary Grade) Group 'C' Posts in Ordnance and Ordnance Equipment Factories and other offices and establishments in Ordnance Factories Organisation.

****

Please find enclosed herewith a copy of Gazette Notification vide notifying publication of SRO 34 dated 14th May, 2018 for the post of Civilian Motor Driver (Special Grade) Group 'B' Non-Gazetted, Civilian Motor Driver (Grade-I), Civilian Motor Driver (Grade-II) and Civilian Motor Driver (Ordinary Grade) Group 'C' Posts in terms of the instructions contained in DoPT OM No. AB-14017/61/2008-Estt(RR) dated 27.02.2015, the notified recruitment Rules for the post(s) mentioned as above of earlier SRO related to the above posts circulated for information and necessary action please.

Kindly acknowledge receipt.

Encl.: Copy of SRO 34 Dated 14th May, 2018.

(H.K.Paikra)
DIR/IR
For Director General, Ordnance Factories

Copy to :-
1. Chairman's Sectt., OFB Kolkata.
2. All Members, OFB Kolkata.
3. The Addl. DGOF/AV Hqrs. Avadi.
4. The Addl. DGOF/OEF Hqrs, Kanpur.
5. Sr. Principal Director, NADP, Ambajhari.
6. Principal Director /OFILs, RCSs, RMCs & OFRC.
7. Principal Controller of Accounts (Fys), Kolkata
8. Section : Per/NG, Per/Policy and Per/IR.
9. All Staff side Members of JCM-III level.
10. Instruction File.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, मई 20—मई 26, 2018, शनिवार/वैशाख 30—ज्येष्ठ 5, 1940
No. 11] NEW DELHI, MAY 20—MAY 26, 2018, SATURDAY/VAISAKHA 30—JYAISTHA 5, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 मई, 2018

का.नि.आ. 32.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सेना कारखाना कैंटीन कर्मचारी (समूह 'ग') भर्त्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना कारखाना कैंटीन कर्मचारी (समूह 'ग') भर्त्ती संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, सेना कारखाना कैंटीन कर्मचारी (समूह 'ग') भर्त्ती नियम, 2011 में, : -

(1) नियम-3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :

*"**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"*

(2) रक्षा मंत्रालय, सेना कारखाना कैंटीन कर्मचारी (समूह 'ग') भर्त्ती नियम, 2011 की अनुसूची में, -

(क) **पर्यवेक्षक श्रेणी-2** पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,-

(ii) in column (11), for Note 1 and Note 2 and the entries relating thereto, the following Note and entries shall be substituted, namely

"Note – where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service."

[F. No. 15203/9/MP-4(Civ)(a)/RR/604/D(Apptts)/2018]

S. S. S. SARMA, Director (Estt/CP)

Note:- The principal rules were published vide notification number S.R.O 23 dated the 11th April 2012 in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated 21st April 2012 and amended vide notification number S.R.O 38, dated the 5th May 2014.

नई दिल्ली, 14 मई, 2018

का.नि.आ. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते आयुध और आयुध उपस्कर कारखाना, सिविलियन मोटर ड्राइवर (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' अराजपत्रित, सिविलियन मोटर ड्राइवर (श्रेणी-1), सिविलियन मोटर ड्राइवर (श्रेणी-2), और सिविलियन मोटर ड्राइवर (साधारण श्रेणी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध और आयुध उपस्कर कारखाना, सिविलियन मोटर ड्राइवर (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' अराजपत्रित, सिविलियन मोटर ड्राइवर (श्रेणी-1), सिविलियन मोटर ड्राइवर (श्रेणी-2), और सिविलियन मोटर ड्राइवर (साधारण श्रेणी) समूह 'ग' पद भर्ती, (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयुध और आयुध उपस्कर कारखाना, सिविलियन मोटर ड्राइवर (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' अराजपत्रित, सिविलियन मोटर ड्राइवर (श्रेणी-1), सिविलियन मोटर ड्राइवर (श्रेणी-2), और सिविलियन मोटर ड्राइवर (साधारण श्रेणी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 में,-

(1) नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों में उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।"

(2) उक्त नियम की अनुसूची में,-

(क) सिविलियन मोटर ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पद से संबंधित क्रम संख्या1 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-6 (35400-112400)";

(ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2800/- रुपए" में शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300 रुपए)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) सिविलियन मोटर ड्राइवर श्रेणी-1 के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के समाने,-

(i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

" स्तर-5 (29200-92300 रु.)";

(ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400/- रुपए" में शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रुपए)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) सिविलियन मोटर डाइवर श्रेणी 2 के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात :-

" स्तर-4 (25500-81100 रु.)";

(ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए जमा ग्रेड वेतन 1900/-" में शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रुपए)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) सिविलियन मोटर ड्राइवर (साधारण श्रेणी) के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के समाने,-

(i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

" स्तर-2 (19900-63200 रु.)";

(ii) स्तंभ (6) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा ;

"18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक शिथिलता की जा सकती है)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवदेन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।" ;

(iii) स्तंभ (11) में "वेतन बैंड-1 ग्रेड वेतन 1800/- रुपए" में शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रुपए)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 41(4)/2018-रक्षा(स्था./एन.जी)]

संजय रावत, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम दिनांक 28 दिसंबर, 2014 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 04 दिनांक 18 जून, 2014 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 14th May, 2018

S.R.O. 34.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Civilian Motor Driver (Special Grade) Group 'B' Non-Gazetted, Civilian Motor Driver (Grade - I), Civilian Motor Driver (Grade – II) and Civilian Motor Driver (Ordinary Grade) Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2014, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Civilian Motor Driver (Special Grade) Group 'B' Non-Gazetted, Civilian Motor Driver (Grade - I), Civilian Motor Driver (Grade – II) and Civilian Motor Driver (Ordinary Grade) Group 'C' Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Civilian Motor Driver (Special Grade) Group 'B' Non-Gazetted, Civilian Motor Driver (Grade - I), Civilian Motor Driver (Grade – II) and Civilian Motor Driver (Ordinary Grade) Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2014, -

(1) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

"3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule." ;

(2) in the Schedule, -

(a) against serial number 1, relating to the post of Civilian Motor Driver (Special Grade),-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level- 6 (Rs. 35400-112400)";

(ii) in column (11), for the words, letters and figures " the Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2800", the words, letters, figures and brackets "level 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix" shall be substituted;

(b) against serial number 2, relating to the post of Civilian Motor Driver Grade-I,-

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"Level- 5 (Rs. 29200-92300)";

(ii) in column (11), for the words, letters and figures " the Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400", the words, letters, figures and brackets "level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix" shall be substituted;

(c) against serial number 3, relating to the post of Civilian Motor Driver Grade-II,-

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"Level- 4 (Rs. 25500-81100)";

(ii) in column (11), for the words, letters and figures " the Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900", the words, letters, figures and brackets "level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix" shall be substituted;

(d) against serial number 4, relating to the post of Civilian Motor Driver Grade (Ordinary Grade),-

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"Level- 2 (Rs. 19900-63200)";

(ii) in column (6), for existing entries, following shall be substituted ;

"Between 18 years and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).";

(iii) in column (11), for the words, letters and figures " the Pay Band-1and Grade Pay of Rs. 1800", the words, letters, figures and brackets "level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix" shall be substituted.

[F.No. 41(4)/2018-D(Estt./NG)]

SANJAY RAWAT, Under Secy.

Foot Note : The Principal rules were published vide notification number S.R.O. 04, dated the18th June, 2014 in the Gazette of India, Part-II section 4 dated the 28th December, 2014.

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

का.नि.आ. 35.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, भंडारसंबंधी समूह 'क' तथा 'ख' पद भर्ती नियम, 2012का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः**–इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, भंडार संबंधी समूह 'क' तथा 'ख' पद भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 2018है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, भंडारसंबंधी समूह'क' तथा'ख' पद भर्ती नियम, 2012 की अनुसूची में भंडार अधिकारी पद के सामने लिए स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं" ।

[सं. डीएचआरडी/16342/आरआर/भंडार संवर्ग/सी/पी/03/569/डी(आर एण्ड डी)18 दिनांक 23 अप्रैल,2018]

हर्षा रानी, अवर सचिव

नोट : मुख्य नियम, दिनांक 18 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना सं. सा.नि.आ. 94 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4 में प्रकाशित किए गए और इसे 30 मई, 2017 की अधिसूचना सं.सा.नि.आ.-48 द्वारा संशोधित किया गया ।